



आवेदन की तिथि- 10/11/15
 अधिसूचना तिथि- 12/11/15
 निर्गत तिथि- 13/11/15

कार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण (दाखिल-खाने) दिखानेवाला शुद्धि-1
 जिला- धनबाद, अनुमण्डल - धनबाद अंचल - धनबाद हल्का सं०- (1) स्टेट का नाम- झारखण्ड

क्रम संख्या	पत्नी संख्या 27 में नामान्तरण में संख्या	गाँव	धाना और धाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की संख्या	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, दान विनियम, उत्तराधिकार या बतवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का प्र. व्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?
1								
2	दा० खा० 1335 (1) 14-15							
3		मानसरोवर						
4			धनबाद					
5				खाता- 07 प्लॉट- 251, 252 रकबा- 3.45 कठ्ठा या 54355 काला- 10/11/15				
6					अंचल अधिकारी धनबाद			
7						बिक्री/उत्तराधिकारी दलील संख्या - 9642 दिनांक - 10/11/15		
8							पुराना जमा०- 07 पुराना रैयत- खुली राम पोल दी नया रैयत- श्रीमती चित्रा देवी पति- श्री रामदेव सा- श्री राम देवी वॉच पीलेडकी, रोड धनबाद	
9								जमा संख्या- 10/11/15

शाखा संख्या 1318 ता० 13/11/15
 कर्मचारी हल्का सं० (1) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए मजी जाती है।

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया।

अंचल अधिकारी धनबाद

21/11/15
 19/11/15



आवेदन की तिथि- 10/04/15
 अधिसूचना तिथि- 12/04/15
 निर्गत तिथि- 15/04/15
अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या..... 1535 (J) / 2014-15

(1) आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
26/12/14	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती <u>श्री. र. जे. सु.</u> साकिम <u>फ़ैरेस्ट. कोलोनी</u> पिता/पति <u>श्री. र. जे. सु.</u> साकिम <u>फ़ैरेस्ट. कोलोनी</u> थाना <u>धनबाद</u> जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा <u>साइडरहाटा</u> मौजा नं० <u>१५</u> खाला नं० <u>१३</u> प्लॉट नं० <u>३५१, ३५२</u> दलील सं० <u>३५१</u> दिनांक <u>१२/०२/१५</u> के द्वारा श्री/श्रीमती <u>श्री. र. जे. सु.</u> से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को मौजा हेतु है पर बीच आम इच्छा निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>११/०१/१५</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p>
११/०१/१५	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इच्छा का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रैयती खाते की है। जमाबंदी सं० <u>१३</u> में विक्रेता को विक्रेता के <u>सु. र. जे. सु.</u> के नाम लगान से रसीद कट रहा है। आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल करूंगा में है। निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की सशि को कोषामर में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है। प्रश्नगत भूमि नैर आबाद खाला, आदिवासी रक्षता, भूदान, वन भूमि तथा बी०००० एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह <u>सं. १९५५</u> C.N.T Act की धारा 46 (1) में भुक्त है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुरांसा के आधार पर आदेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को <u>स्वीकृत</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगे। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>

जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।
 श्री/श्रीमती श्री. र. जे. सु.
 साकिम फ़ैरेस्ट. कोलोनी

अंचल अधिकारी
धनबाद।

नाशिर सचिव कार्यालय